भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2845
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

2845. श्री सुदामा प्रसाद:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मीडिया की उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 6.5 लाख गांवों में से केवल 1.99 लाख गांवों में ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के अंतर्गत पूर्ण ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्राप्त करने में देरी के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो आकलन रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड कार्यान्वयन का राज्य/जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतनेट परियोजना को पूरा किए जाने हेतु निर्धारित तिथि क्या है और इसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए किए गए वैकल्पिक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ङ) देश की ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिनांक 30.06.2025 तक भारतनेट के

अंतर्गत, कुल 2,14,325 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है। भारतनेट के अंतर्गत देश में ग्राम पंचायतों का राज्यवार विवरण डिजिटल भारत निधि की वेबसाइट (https://usof.gov.in/home) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, रिंग टोपोलॉजी में लगभग 2.65 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर (ओएफ) कनेक्टिविटी प्रदान करने और बिना ग्राम पंचायत वाले गाँवों (लगभग 3.8 लाख) को माँग के आधार पर जोड़ने के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) को अनुमोदन दे दिया गया है। यह कार्यक्रम तीन वर्ष की निर्माण अवधि, शेष सात वर्ष प्रचालन और रखरखाव के कार्य की परिकल्पना करता है।

*****